रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232952
SG-DL-E-28012022-232952

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 07, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 397
No. 48]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/MAGHA 07, 1943	[N. C. T. D. No. 397

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

F. No.8(13)Admn./WCD/2015/P.F./648.–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्व परामर्श के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में गृह पिता/गृह माता/मैट्रन के पद हेतु भर्ती नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को महिला एवं बाल विकास विभाग, हाउस फादर/हाउस मदर/मैट्रन भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– **उक्त** पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा , योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**— इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	गृह पिता / गृह माता / मैट्रन
2.	**पदों की संख्या**	:	69*(2020) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	ग्रुप ''ग'' अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स स्तर–4, (25500–81100 / –रुपये
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18 – 25 ' (समय–समय पर जारी अनुदेशों /आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) यदि भर्ती दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या इसी प्रकार की अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच होगी अन्यथा 18–25 वर्ष होगी। टीप – आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, (तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाल उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य योग्यताः**— 1. समाज विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य अथवा मनोविज्ञान अथवा बाल मनोविज्ञान अथवा अपराध विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक । 2. सैकेण्डरी स्तर तक एक विषय के रूप में हिन्दी का अध्ययन ।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा – 95 : पदोन्नति द्वारा – 5 : जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा समुचित क्षेत्र में सार्वजनिक निगम एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान द्वारा उपयुक्त अवधि के लिए पदोन्नति प्रशिक्षण अनिवार्य होगा ।
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	पदोन्नति : आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित अन्य योग्यता रखने वाले वेतन मैट्रिक्स स्तर –2 (19900–63200 / –रूपये) में अन्वेषक प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी क. (1) मूल संवर्ग अथवा विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा वेतन मैट्रिक्स स्तर –3 (21700 – 69100 / –रूपये) में नियमित आधार

			पर पद पर नियुक्ति के उपरांत पॉच वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष य अथवा वेतन मैट्रिक्स स्तर –2 (19900 – 63200/–रूपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष य (ख) कालम 7 में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	वर्ग ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति तथा स्थाईकरण पर विचारार्थ) (i) प्रधान सचिव /सचिव (प्रशासनिक सुधार) – अध्यक्ष (ii) निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग –सदस्य (iii) उप–सचिव (सा0प्र0वि0), –सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ. रश्मी सिंह, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th January, 2022

F. No. 8(13)/Admn./WCD/2015/P.F./648.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Services Department, Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make recruitment rules for the post of House Father/House Mother/Matron in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

1. **Short title and commencement**: - (i) These rules may be called the 'Department of Women and Child Development, House Father/House Mother/Matron' Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, Classification and level in the pay matrix: - The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc: - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification: - No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax: - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by a order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of posts.**	**Classifica-tion.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
House Father/House Mother/Matron.	69* (2020) *Subject to variation Dependent on work load.	Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Matrix Level-4 (Rs. 25500-81100)/-	Non-Selection.	18-25 years* (Relaxable for government servant as per instructions/orders issued from time to time) * If recruitment is made through DSSSB or any other similar recruitment agencies in that case the age limit may be prescribed as 18-27 years otherwise the same may be kept as 18-25 years. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,	**Essential Qualification:** (1) Graduation from a recognized University with Sociology or Social Work or Psychology or Child Psychology or Criminology as a subject. (2) Studied Hindi as a subject upto Secondary level.	Age: No Educational Qualifications: Yes.

					Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).		

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
9	**10**	**11**	**12**	**13**
Two years.	By Direct Recruitment-95% By Promtion-5% failing which by Deputation On promotion training for appropriate period by National Institute of Public Cooperation and Child Development in the appropriate area shall be mandatory.	**Promotion:** Investigator in Pay Matrix Level-2 (Rs.19900-63200) with 8 years' regular service and possessing Educational and other qualification as prescribed for Direct Recruitment. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union Territories (a) Holding analogous post on a regular basis in parent cadre or Department; or With 5 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in Pay Matrix Level-3 (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department or With 8 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in Pay Matrix-2 of (Rs.19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing education qualifications prescribed for direct recruits in col. No. 7. Note: The period of deputation/period of deputation in another ex-cadre post held	Group 'C' DPC (for considering promotion and confirmation): - 1. Principal Secretary/Secretary (AR)- Chairman 2. Director, DWCD- Member 3. Dy. Secretary (GAD)- Member	Not applicable.

		immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding Fifty Six years as on the closing date of receipt of applications.		

By Order and in the Name of
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH, Spl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.28 16:43:45 +05'30'